**संख्या :11/2017/बी-1-1399/दस-2017-12(2)/2018**

**प्रेषक,**

**संजीव मित्तल,**
**प्रमुख सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त,**
**उत्तर प्रदेश शासन ।**

**सेवा में,**

**समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,**
**उत्तर प्रदेश शासन ।**

**वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1** **लखनऊ: दिनाँक : 31 अक्टूबर, 2017**

**विषय : वित्तीय वर्ष 2018-2019 के बजट अनुमानों के संबंध में ।**

**महोदय,**

**वित्तीय वर्ष 2018-2019 के विभागीय बजट अनुमानों को तैयार करने के संबंध में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 10/2017/बी-1-1334/दस-2017-12(2)/ 2018 दिनाँक 27 सितम्बर, 2017 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जो राज्य सरकार की वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in पर भी उपलब्ध है । शासनादेश के प्रस्तर-6 व 7 में प्राप्तियों के अनुमान, प्रस्तर-8 में व्यय के अनुमान, प्रस्तर-10 में "व्यय की नई मांगों" और प्रस्तर-12 में बजट संरचना हेतु सामान्य दिशा निर्देशों का उल्लेख है। वित्तीय वर्ष 2018-2019 के बजट अनुमानों को वित्त विभाग को विलम्बतम् दिनाँक 30 नवम्बर, 2017 तक प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं ।**

**2- विभागों द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-2019 के बजट अनुमानों का निर्धारण निम्नांकित बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुये किया जाय तथा उन्हें वित्त विभाग को दिनाँक 30 नवम्बर, 2017 तक प्रेषित किया जाय -**

1- **वेतन (मानक मद-01) में चालू वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय में 03 प्रतिशत की वृद्धि लेते हुये अनुमान निर्धारित किये जायें ।**

2- **महंगाई भत्ता (मानक मद-03) तथा अन्य भत्ते (मानक मद-06) में वर्तमान दर के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान निर्धारित किये जायें।**

3- **कार्यालय संचालन संबंधी व्यय के अनुमान के निर्धारण में, शासन द्वारा जारी मितव्ययता संबंधी आदेशों को ध्यान में रखा जायें ।**

4- **सरकारी कार्यालयों में विद्युत देयों के भुगतान हेतु विद्युत देय (मानक मद-09) वास्तविक आवश्यकता के अनुसार बजट अनुमान प्रेषित किये जायें ।**

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नही है ।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- वेतन समिति की संस्तुतियों के फलस्वरूप दिनाँक 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक पुनरीक्षित वेतन के अवशेष के 50 प्रतिशत के भुगतान हेतु राज्य कर्मचारियों के लिये मानक मद-52 में तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं आदि के कर्मचारियों / शिक्षकों के लिये मानक मद-53 में बजट अनुमान प्रस्तावित किये जायें ।

6- चालू योजनाओं/ नई योजनाओं (व्यय की नई मांग) हेतु आगामी वित्तीय वर्ष के अनुमान निर्धारित करते समय राज्य सरकार की प्राथमिकताओं एवं प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखा जायें ।

7- केन्द्र पोषित योजनाओं हेतु चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाले केन्द्रांश में 10 प्रतिशत की वृद्धि लेते हुये तद्नुसार राज्यांश एवं केन्द्रांश के बजट अनुमान आगामी वित्तीय वर्ष हेतु प्रस्तावित किये जाये ।

8- नई योजनाओं (व्यय की नई मांग) के प्रस्ताव चालू योजनाओं के बजट प्रस्तावों में सम्मिलित न किया जाय बल्कि इसे बजट अनुमान संबंधी शासनादेश दिनाँक 27 सितम्बर, 2017 के पृष्ठ-12 पर उल्लिखित बिन्दुओं के दृष्टिगत पृष्ठ-13 व 14 में निर्धारित प्रारूप पर प्रेषित किये जायें ।

9- प्राप्तियों के अनुमान यथासम्भव यथार्थपरक प्रेषित किये जायें ।

10- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की अपेक्षानुसार बजट अनुमानों की प्रति महालेखाकार कार्यालय के बजट अनुभाग को भी भेजी जायें ।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त बिन्दुओं के साथ-साथ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनाँक 27 सितम्बर, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार बजट अनुमानों को प्रेषित करने के लिये दिनाँक 30 नवम्बर, 2017 तक की प्रतीक्षा न की जाय एवं व्यय के अनुमानों के प्रस्ताव जैसे-जैसे तैयार होते जाय उन्हें वित्त विभाग को उपलब्ध करा दिया जाय जिससे कि वित्त विभाग को उनके परीक्षण करने हेतु पर्याप्त समय मिल सके ।

संलग्नक : यथोपरि ।

भवदीय,

संजीव मित्तल
प्रमुख सचिव, वित्त एवं
वित्त आयुक्त ।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नही है ।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या : 11/2017/बी-1-1399(1)/दस-2017-12(2)/2018, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
2 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
3 प्रमुख सचिव, विधान परिषद / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।
4 अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
5 प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
6 वित्त विभाग के समस्त वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग एवं उनसे संबंधित अधिकारी ।
7 सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
8 वरिष्ठ उप महालेखाकार / राजकोष, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उनके पत्रांक बजट/44748 दिनाँक 04 अगस्त, 2017 के संदर्भ में सूचनार्थ ।

आज्ञा से,

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं
विशेष सचिव, वित्त ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नही है ।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।